

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/10/80 दिनांक:-27/1/10

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/काअ/10/76 दिनांक 25.1.2010 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री प्रहलादराय वर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर
2	श्री कैलाशचन्द्र श्रृंगी	संयुक्त निदेशक जोन कोटा	अधीक्षक, एस0एम0एस0 चिकित्सालय जयपुर
3	श्री श्याम सिंह चौहान	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	निदेशक पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर
4	श्री चिरंजीलाल बैरवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर
5	श्री लक्ष्मीनारायण खजोटिया	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर
6	श्री तेज सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 16.2.2010 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।


(हस्ताक्षर)
अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/10/१०

दिनांक:- 27/11/60

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 3- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।



अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर